डिकरी व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20 रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix"D"-1)
अज अदालत सहायक कलक्टर नदबई
व इजलास श्री गंगाधर मीना ,आर.ए.एस

मु0 उनवान राजेन्द्रसिंह बनाम मोहनसिंह वगै0

दावा बाबत् 53, 188 रा0का0 अधिनियम

मुकदमा नंबर 27/2019

यह मुदकमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू ......– व हाजरी वादी मिनजानिब मुद्दठ व .... मिनजानिब मुद्दालय पेश होकर , हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि

वादी के वाद को स्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति में वाद का अन्तिम निर्णय किया जाता है कि हाल आराजी खसरा नम्बर. 701, 708, 709, 711, 726, 727,750, 751, 774/1748, 779, 780, 788, 789, 790, 814,815, 845, 846 किता 18 रकवा 3.19 हैक्ट. वाके ग्राम बरौलीरान तहसील नदबई में स्थित है। वादी व प्रतिवादी को कुर्राजात प्रस्ताव दिनांक 27.09.2024 के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। कुर्राजात प्रस्ताव दिनांक 27.09.2024 (प्रदर्श–अ) के अनुसार वादी व प्रतिवादी के नाम पृथक से खाता विभाजन कर लगान कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। कुर्राजात प्रस्ताव 27.09.2024 प्रदर्श–"अ" इस निर्णय व अन्तिम डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार नदबई रिकॉर्ड में अमल तरमीम करावें। एक दूसरे को मिलने वाले खसरे/कब्जे काश्त /हक अधिकार में, किसी तरह की दखल मजामहत, किसी भी रूप में, किसी भी माध्यम से, न करें, न करावें। रहन यदि कोई हो तो संबंधित खातेदार को प्राप्त होने वाले खसरे/रकवे/हिस्से के विरूद्ध दर्ज किया जावे। लगान आनुपातिक कायम करें।

बैज – मुबलिग – – – – – – बावत – – – – – – – – – – खर्चा इस मुकदमें के मयसुद व शरह ——————फीसदी सालाना आज की तारीख सं तरीख व सुलयाबी तक —————— की अदा करें ।

६ दसब्त व मुहर अदालत के आज तारीख **25.11.2024** को जारी की गई ।

मुहर

दस्तखत—————— 25/11/24

सहायक कलक्टर

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दालय	रूपया	पैसा
स्टाम्प अराजी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बवत इजराय हुक्मनामा		
बावत इजराय हुक्म नामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मीजान			मीजान		

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.06.23 14:34:06 IST
Reason: SelfAttested

1. राजेद्रसिंह पुत्र हरिसिंह जाति जाट निवासी बरौलीरान तहसील नदबई(भरतपुर)
2. नेमीचंद पुत्र हरिसिंह जाति जाट निवासी बरौलीरान तहसील नदबई(भरतपुर)
3. हिम्मतसिंह पुत्र हरिसिंह जाति जाट निवासी बरौलीरान तहसील नदबई(भरतपुर)

वादीगण

बनाम

1. मोहनसिंह पुत्र पूरनसिंह जाति जाट निवासी बरौलीरान तहसील नदबई(भरतपुर)
2. कुमरसिंह पुत्र पूरनसिंह जाति जाट निवासी बरौलीरान तहसील नदबई(भरतपुर)
3. रामहंस पुत्र स्वरूप जाति जाट निवासी बरौलीरान तहसील नदबई(भरतपुर)
4. प्रहलाद पुत्र स्वरूप जाति जाट निवासी बरौलीरान तहसील नदबई(भरतपुर)
5. प्रेमसिंह पुत्र स्वरूप जाति जाट निवासी बरौलीरान तहसील नदबई(भरतपुर)
6. वीरसिंह पुत्र स्वरूप जाति जाट निवासी बरौलीरान तहसील नदबई(भरतपुर)
7. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार नदबई
8. उप पंजीयक नदबई
9. शाखा प्रबंधक स्टेट बैंक नदबई
10. केहरसिंह पुत्र चरनसिंह जाति जाट निवासी बरौलीरान तहसील नदबई जिला भरतपुर

प्रतिवादीगण

25/11/24

सहायक कलक्टर
नदबई जिला भरतपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.06.23 14:34:06 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर नदबई (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी श्री गंगाधर मीना R.A.S.)

प्रकरण सं. 27/2019
जी.सी.एम.एस. नम्बर 2019/0049
किस्म दावा अंतर्गत धारा 53, 188 आरटीए
निर्णय दिनांक 25.11.2024.

1. राजेद्रसिंह पुत्र हरिसिंह जाति जाट निवासी बरौलीरान तहसील नदबई(भरतपुर)
2. नेमीचंद पुत्र हरिसिंह जाति जाट निवासी बरौलीरान तहसील नदबई(भरतपुर)
3. हिम्मतसिंह पुत्र हरिसिंह जाति जाट निवासी बरौलीरान तहसील नदबई(भरतपुर)

वादीगण

बनाम

1. मोहनसिंह पुत्र पूरनसिंह जाति जाट निवासी बरौलीरान तहसील नदबई(भरतपुर)
2. कुमरसिंह पुत्र पूरनसिंह जाति जाट निवासी बरौलीरान तहसील नदबई(भरतपुर)
3. रामहंस पुत्र स्वरूप जाति जाट निवासी बरौलीरान तहसील नदबई(भरतपुर)
4. प्रहलाद पुत्र स्वरूप जाति जाट निवासी बरौलीरान तहसील नदबई(भरतपुर)
5. प्रेमसिंह पुत्र स्वरूप जाति जाट निवासी बरौलीरान तहसील नदबई(भरतपुर)
6. वीरसिंह पुत्र स्वरूप जाति जाट निवासी बरौलीरान तहसील नदबई(भरतपुर)
7. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार नदबई
8. उप पंजीयक नदबई
9. शाखा प्रबंधक स्टेट बैंक नदबई
10. केहरसिंह पुत्र चरनसिंह जाति जाट निवासी बरौलीरान तहसील नदबई जिला भरतपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.06.23 14:34:06 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादीगण

25/11/24

उपस्थित श्री डालचंद शर्मा एड.(वादी की ओर से)

श्री ओमप्रकाश पराशर एड (प्रतिवादीगण की ओर से)

निर्णय दावा अंतर्गत धारा 53, 188 आर.टी.ए

1. यह कि हाल आराजी खसरा नम्बर. 701, 708, 709, 711, 726, 727,750, 751, 774/1748, 779, 780, 788, 789, 790, 814,815, 845, 846 किता 18 रकबा 3.19 हैक्ट. वाके ग्राम बरौलीरान तहसील नदबई में स्थित है। उक्त आराजी पर वादी एवं प्रतिवादी मनदट अनुसार काबिज काश्त है। आराजी सहखातेदारी काश्तकारी की है।
2. यह कि विवादित आराजी वाके ग्राम बरौलीरान पर वादी एवं प्रतिवादीगण सम्मिलित काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। परन्तु प्रतिवादी के मन में बदयंति आ गई है। आराजी को रहन मुनतकिल करने पर आमादा है। यहां तक कि बिना किसी विधिक बंटवारा के ख.न. 709 में प्रतिवादी गनमर्जी से मकान बनाने को आमादा है।
3. यह कि विवादित आराजी पर पूर्व की भातिं काश्त करना संम्भव नही रहा है। ऐसी स्थिति में वादी विवादित आराजी वादी एवं प्रति के मध्य अच्छी मे से अच्छी व बुरी मे से बुरी आराजी के कुरेजात कायम कर पृथक–पृथक लगान कायम काराने के अधिकारी है।
4. अन्त में प्रार्थना है कि मद सं. 2 की आराजी के कुरेजात कायम कर अलग–अलग खाता लगान कायम किया जावे एवं प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वह वादी के हिस्से में मदाखलत मजामहत नहीं करें, रहनवयमुन्तकिल नहीं करे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 की और से श्री रामकिशन गुर्जर एडवोकेट उपस्थित हुए तथा शेषप्रतिगणो के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 की ओर से जबाव दावा पेश किया गया जो शामिल पत्रावी किया गया।

उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्तागणों की बहस बाद प्रारम्भिक डिक्री किये जाने बाबत सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वा[illegible] प्रारंभिक डिक्री दिनांक 24.07.2024 को किया जाकर [illegible] आराजीयात की बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर कुरेजात मंगवाए ज[illegible] हेतु तहसीलदार नदबई को आदेशित किया गया तथा [illegible] नदबई को बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर तथा राजस्व मण्डल अजमेर के नि[illegible] 18 से 21 की पालना करते हुए विभाजन प्रस्ताव मंगवाए जाने हेतु न्यायालय द्वारा आदेश पारित किए गए। तहसीलदार नदबई द्वारा न्यायालय के आदेश

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.06.23 14:34:06 IST
Reason: SelfAttested

25/11/24

क्रमांक 888 दिनांक 02.08.2024 की अनुपालना में विभाजन प्रस्ताव बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर एवं राजस्व मण्डल अजमेर के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए कुरेजात प्रस्ताव दिनांक 27.09.2024 जरिए पत्रांक एलआर/24/5240 दिनांक 09.10.2024 से भिजवाए गए। एवं कुरेजात प्रस्ताव पर बहस हेतु पत्रावली नियत की गई।

हमने उभयपक्षकारान के अधिवक्तागणों की बहस आपत्ति कुर्रा रिपोर्ट सुनी गई। वकील वादी द्वारा बहस दौरान निवेदन किया कि कुर्रारिपोर्ट में राजस्व मण्ड़ल के नियम 18 से 21 की पालना ना करते हुऐ कुर्रा रिपोर्ट बनाई गयी है। आराजी अच्छी उपजाऊ एवं मीठेपानी कि कृषि भूमि में वादीगण को हिस्सा नही दिया गया है। कुर्राजात रिपोर्ट मौका के अनुरूप पेश नही कि गई। कुर्रा रिपोर्ट मौके के विपरीत बनाई गई है। इस प्रकार उक्त कुर्रा रिपोर्ट मौके एवं दिशा के विपरीत है अतः कुर्रा रिपोर्ट पुनः मंगवाई जावे।

वकील वादी/अप्रार्थी के अधिवक्ता ने दौरान बहस निवेदन किया कि विवादित आराजी वाके ग्राम बरौलीरान पर स्थित है, कुर्रा रिपोर्ट मौका व काश्त अनुसार मौके पर जाकर तैयार कि गई है तथा कुर्रा रिपोर्ट राजस्व मण्ड़ल के नियम 18 से 21 कि पालना करते हुऐ बनाई गई है। अत आपत्ति कुर्रा एतराज खारिज किया जाकर दावा मुताबिक कुर्रा रिपोर्ट दिनांक 27.09.24 अनुसार डिक्री किया जावें।

हमने उभयपक्षकारान की विद्वान अधिवक्तागणों की बहस आपत्ति कुर्रा रिपोर्ट सुनी गई, बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध कुरेजात प्रस्ताव का अवलोकन किया गया तो पाया कि तहसीलदार नदबई द्वारा जो कुर्रेजात प्रस्ताव दिनांक कुरेजात प्रस्ताव दिनांक 27.09.024 जो कि पत्रांक एलआर/24/5240 दिनांक 09.10.2024 से भिजवाई गई का अवलोकन किया तो पाया कि कुरेजात प्रस्ताव मौके पर जाकर पक्षकारान को तलब कर पक्षकारान की उपस्थिति में राजस्व मण्डल अजमेर के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए तथा कब्जेकाश्त को ध्यान में रखते हुए मौके के अनुसार तैयार कर भिजवाई गई है। अतः प्रतिवादी की आपत्ति कुरेजात प्रस्ताव खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है अतः आपत्ति कुरेजात प्रस्ताव खारिज किया जाकर मुताबिक कुरेजात प्रस्ताव दिनांक 27.09.2024 के अनुसार ही डिक्री किया जाना उचित है।

—::आदेश::—

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.06.23 14:34:06 IST
Reason: SelfAttested

अतः आदेश है कि वादी के वाद को स्वीकार योग्य पाये जाने स्थिति में वाद का अन्तिम निर्णय किया जाता है कि हाल आराज़ी खसरा नम्बर 701, 708, 709, 711, 726, 727,750, 751, 774/1748, 779, 780, 788, [illegible] 790, 814,815, 845, 846 किता 18 रकवा 3.19 हैक्ट. वाके ग्राम बरौलीरान

25/11/24

तहसील नदबई में स्थित है। वादी व प्रतिवादी को कुर्राजात प्रस्ताव दिनांक 27.09.2024 के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। कुर्राजात प्रस्ताव दिनांक 27.09.2024 (प्रदर्श–अ) के अनुसार वादी व प्रतिवादी के नाम पृथक से खाता विभाजन कर लगान कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। कुर्राजात प्रस्ताव 27.09.2024 प्रदर्श–"अ" इस निर्णय व अन्तिम डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार नदबई रिकॉर्ड में अमल तरमीम करावें। एक दूसरे को मिलने वाले खसरे/कब्जे काश्त /हक अधिकार में, किसी तरह की दखल मजामहत, किसी भी रूप में, किसी भी माध्यम से, न करें, न करावें। रहन यदि कोई हो तो संबंधित खातेदार को प्राप्त होने वाले खसरे/रकवे/हिस्से के विरूद्ध दर्ज किया जावे। लगान आनुपातिक कायम करें।

निर्णय आज दिनांक 25.11.24 को खुले न्यायालय में लिखया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट नदबई (भरतपुर) राज.
सत्यमेव जयते

25/11/24
(गंगाधर मीना R.A.S.)
सहायक कलक्टर नदबई

सहायक कलक्टर
नदबई जिला भरतपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.06.23 14:34:06 IST
Reason: SelfAttested